वेदांता लिमिटेड

संबंधित पक्ष लेन-देन नीति

दस्तावेज़ का नाम	**संबंधित पक्ष लेन-देन नीति**
कंपनी	**वेदांता लिमिटेड**
तैयारकर्ता	**कॉर्पोरेट सचिवीय विभाग**
संस्करण एवं अंतिम अद्यतन तिथि	मई 2015 07 मई 2019 31 मार्च 2021 25 मार्च 2022 28 मार्च 2023 21 मार्च 2024 **29 जनवरी 2026**

विषय-सूची

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	प्रस्तावना	3
2	उद्देश्य	3
3	परिभाषाएँ	3–6
4	महत्वपूर्णता की सीमा	6
5	पश्चात् संशोधनों हेतु महत्वपूर्णता की सीमा	6
6	संबंधित पक्षों की पहचान	6-7
7	संबंधित पक्ष लेन-देन की पहचान	7
8	संबंधित पक्ष लेन-देन की स्वीकृति एवं समीक्षा की प्रक्रिया	8–15
9	संबंधित पक्ष लेन-देन की स्वीकृति हेतु ऑडिट एवं जोखिम प्रबंधन समिति तथा निदेशक मंडल के लिए कारक / दिशानिर्देश	15
10	रिपोर्टिंग एवं प्रकटीकरण	15-16
11	सीमाएँ एवं संशोधन	16

प्रस्तावना

वेदांता लिमिटेड (जिसे आगे "कंपनी" अथवा "वीईडीएल" कहा गया है) के निदेशक मंडल (जिसे आगे "निदेशक मंडल" कहा गया है) ने संबंधित पक्ष लेन-देन से संबंधित निम्नलिखित नीति एवं प्रक्रिया को अपनाया है (जिसे आगे "नीति" कहा गया है)। यह नीति कंपनी द्वारा अनुपालन किए जाने वाले लागू कानूनों एवं विनियमों के अनुरूप संबंधित पक्ष लेन-देन को नियंत्रित करने वाली प्रक्रियाओं का प्रावधान करती है।

यह नीति कंपनी पर लागू होगी। यह नीति कंपनी अथवा उसकी सहायक कंपनियों तथा उनके संबंधित पक्षों के बीच होने वाले लेन-देन को, कंपनी पर लागू कानूनों एवं विनियमों के आधार पर, नियंत्रित करने के लिए है।

यह नीति 01 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगी। कंपनी का निदेशक मंडल, कंपनी की ऑडिट एवं जोखिम प्रबंधन समिति की सिफारिश पर, इस नीति की समय-समय पर समीक्षा करेगा तथा आवश्यकतानुसार इसमें संशोधन कर सकता है ताकि इसे कंपनी अधिनियम, 2013 तथा सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अंतर्गत होने वाले नियामकीय संशोधनों के साथ संरेखित किया जा सके।

उद्देश्य

यह नीति भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 23 [इसके किसी भी संशोधन / संशोधित / पुनःप्रवर्तन सहित] ("लिस्टिंग विनियम"), "ऑडिट समिति एवं शेयरधारकों को संबंधित पक्ष लेन-देन की स्वीकृति हेतु न्यूनतम सूचना प्रदान करने" संबंधी उद्योग मानकों पर सेबी परिपत्र ("आरपीटी उद्योग मानक") तथा सेबी द्वारा समय-समय पर जारी अन्य परिपत्रों के अनुसार तथा कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 177 एवं 188 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए संबंधित नियमों के अनुसार तैयार की गई है। इस नीति का उद्देश्य कंपनी अथवा उसकी सहायक कंपनियों तथा उनके संबंधित पक्षों के बीच होने वाले लेन-देन की उचित स्वीकृति, प्रकटीकरण एवं रिपोर्टिंग संबंधी आवश्यकताओं को सुनिश्चित करना है। अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कंपनी को कंपनी तथा संबंधित पक्षों के बीच हुए लेन-देन तथा संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन से संबंधित नीतियों का प्रकटीकरण करना आवश्यक है।

इस नीति में प्रयुक्त सभी परिभाषित शब्द (Capitalized terms), जो यहाँ परिभाषित नहीं किए गए हैं, उनका अर्थ अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा लिस्टिंग विनियमों में समय-समय पर संशोधित अर्थों के अनुसार ही समझा जाएगा।

परिभाषाएँ

संबंधित पक्ष का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(76) अथवा लागू लेखांकन मानकों के अंतर्गत परिभाषित है।

परंतु यह कि:

a) सूचीबद्ध इकाई का कोई भी प्रवर्तक या प्रवर्तक समूह का हिस्सा बनने वाला कोई भी व्यक्ति या इकाई; अथवा
b) सूचीबद्ध इकाई में प्रत्यक्ष रूप से या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 89 के अंतर्गत लाभकारी हित के आधार पर दस प्रतिशत या उससे अधिक इक्विटी शेयर धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति या इकाई, तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय,

संबंधित पक्ष माना जाएगा।

संबंधित पक्ष के संदर्भ में **सापेक्षिक** का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) के अंतर्गत परिभाषित है।

संबंधित पक्ष लेन-देन का वही अर्थ होगा जो लिस्टिंग विनियमों के विनियम 2(1)(जेड-सी) के अंतर्गत परिभाषित है तथा जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) में परिकल्पित है।

लिस्टिंग विनियमों के विनियम 2(1)(जेड-सी) के अंतर्गत संबंधित पक्ष लेन-देन का अर्थ संसाधनों, सेवाओं अथवा दायित्वों के ऐसे हस्तांतरण से है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हों:

i. एक ओर सूचीबद्ध इकाई या उसकी किसी सहायक कंपनी तथा दूसरी ओर सूचीबद्ध इकाई या उसकी किसी सहायक कंपनी का कोई संबंधित पक्ष; अथवा
ii. एक ओर सूचीबद्ध इकाई या उसकी किसी सहायक कंपनी तथा दूसरी ओर कोई अन्य व्यक्ति या इकाई, जिसका उद्देश्य और प्रभाव सूचीबद्ध इकाई या उसकी किसी सहायक कंपनी के संबंधित पक्ष को लाभ पहुँचाना हो।

चाहे उस पर कोई मूल्य लिया गया हो या नहीं; तथा "लेन-देन" शब्द को एकल लेन-देन अथवा किसी अनुबंध के अंतर्गत लेन-देनों के समूह के रूप में समझा जाएगा।

छूट

लिस्टिंग विनियमों के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित को संबंधित पक्ष लेन-देन नहीं माना जाएगा:

a) प्राथमिकता आधार पर निर्दिष्ट प्रतिभूतियों का निर्गमन, बशर्ते कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूँजी निर्गमन एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2018 की आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया हो।

b) निम्नलिखित कॉर्पोरेट कार्यवाहियाँ, जो सभी शेयरधारकों पर उनकी शेयरधारिता के अनुपात में समान रूप से लागू अथवा प्रस्तावित हों:
   - लाभांश का भुगतान;
   - प्रतिभूतियों का उप-विभाजन या समेकन; तथा
   - अधिकार निर्गमन या बोनस निर्गमन के माध्यम से प्रतिभूतियों का निर्गमन; तथा
   - प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद।

c) बैंकों अथवा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा सावधि जमा स्वीकार करना, उन शर्तों पर जो सभी शेयरधारकों अथवा आम जनता पर समान रूप से लागू अथवा प्रस्तावित हों, बशर्ते कि ऐसे जमाओं का प्रकटीकरण प्रत्येक छह माह में संबंधित पक्ष लेन-देन के प्रकटीकरण के साथ, निदेशक मंडल द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में, स्टॉक एक्सचेंजों को किया जाए।

d) बैंकों द्वारा चालू खाता जमा तथा बचत खाता जमा स्वीकार करना, भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा संबंधित क्षेत्राधिकार के किसी अन्य केंद्रीय बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुपालन में:

   उपर्युक्त (सी) और (डी) खंडों के प्रयोजन के लिए, जमा स्वीकार करने में उस पर ब्याज का भुगतान भी सम्मिलित होगा।

e) सूचीबद्ध इकाई अथवा उसकी सहायक कंपनी के निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों तथा ऐसे निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के सापेक्षिकों द्वारा, बिना किसी व्यावसायिक संबंध की स्थापना किए, तथा उन शर्तों पर जो सभी कर्मचारियों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों तथा उनके सापेक्षिकों पर समान रूप से लागू अथवा प्रस्तावित हों, की गई खुदरा खरीद:

परंतु आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि यह परिभाषा उन यूनिटों पर लागू नहीं होगी जो म्यूचुअल फंडों द्वारा जारी की गई हों और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध हों।

f) कंपनी अथवा उसकी सहायक कंपनियों के किसी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक द्वारा सामान्य व्यवसाय के दौरान किए गए उचित व्यावसायिक एवं यात्रा व्ययों की प्रतिपूर्ति से संबंधित लेन-देन को इस नीति के अंतर्गत स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी।

कुछ प्रकार के लेन-देन अथवा व्यवस्थाएँ, जिन्हें अलग कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत विशेष रूप से निपटाया जाता है तथा जिन्हें अलग स्वीकृति अथवा प्रक्रियाओं के अंतर्गत निष्पादित किया जाता है, उन्हें लागू कानूनों एवं संबंधित प्रक्रियाओं के अनुसार स्वीकृत किया जाएगा। ऐसे लेन-देन के उदाहरण निम्नलिखित हैं:

- कंपनी अथवा उसकी सहायक कंपनियों द्वारा लागू कानूनी प्रावधानों के अनुपालन में निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति;
- कंपनी अथवा उसकी सहायक कंपनियों द्वारा निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के लाभ हेतु शेयर-आधारित प्रोत्साहन योजनाएँ, जिनमें कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजनाएँ शामिल हैं; अथवा
- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत योगदान।

आर्म्स लेंथ लेन-देन से तात्पर्य दो संबंधित पक्षों के बीच ऐसे लेन-देन से है, जिसे इस प्रकार किया गया हो मानो वे एक-दूसरे से असंबंधित हों, ताकि किसी प्रकार का हितों का टकराव उत्पन्न न हो।

सामान्य व्यवसाय क्रम

सामान्य व्यवसाय क्रम में लेनदेन शब्द को कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा लिस्टिंग विनियमों के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया गया है। तथापि, अंतरराष्ट्रीय लेखा परीक्षा मानक 550 में इकाई के सामान्य व्यवसाय क्रम से बाहर के कुछ लेन-देन के उदाहरण दिए गए हैं। ऐसे उदाहरण नीचे सूचीबद्ध हैं:

- जटिल इक्विटी लेन-देन, जैसे कॉर्पोरेट पुनर्गठन या अधिग्रहण;
- कमजोर कॉर्पोरेट कानून वाले क्षेत्राधिकारों में स्थित अपतटीय इकाइयों के साथ लेन-देन;
- परिसर का पट्टा देना अथवा प्रबंधन सेवाएँ प्रदान करना, यदि कोई प्रतिफल विनिमय नहीं किया जाता;
- असामान्य रूप से बड़ी छूट या रिटर्न के साथ बिक्री लेन-देन;
- परिपत्र व्यवस्थाओं वाले लेन-देन, उदाहरणस्वरूप, पुनर्खरीद की प्रतिबद्धता के साथ बिक्री;
- अवधि समाप्त होने से पूर्व अनुबंध की शर्तों में परिवर्तन।

महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेन-देन का वही अर्थ होगा जो लिस्टिंग विनियमों के विनियम 23(1) के परंतुक में परिभाषित है।

पूरी तरह स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ("डब्ल्यूओएस") से आशय ऐसी कंपनी से है जिसमें होल्डिंग कंपनी प्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से अपनी अन्य पूरी तरह स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के माध्यम से उस कंपनी की कुल मतदान शक्ति का 100% प्रयोग या नियंत्रण करती है; अथवा उस कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना को नियंत्रित करती है।

प्रवर्तक / प्रवर्तक समूह का वही अर्थ होगा जो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूँजी निर्गमन एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2018 में परिभाषित है।

लिस्टिंग विनियमों के अनुसूची बारह में निर्दिष्ट सीमाएँ से आशय उन सीमाओं से है जिनके अनुसार किसी संबंधित पक्ष के साथ किया गया लेन-देन महत्वपूर्ण माना जाएगा, यदि वित्तीय वर्ष के दौरान व्यक्तिगत रूप से या पूर्व लेन-देनों

के साथ मिलाकर किया गया लेन-देन निम्नलिखित से अधिक हो:

कंपनी का समेकित कारोबार	सीमा
I. 20,000 करोड़ रुपये तक	सूचीबद्ध इकाई के वार्षिक समेकित कारोबार का 10 प्रतिशत
II. 20,000 करोड़ रुपये से अधिक लेकिन 40,000 करोड़ रुपये तक	2,000 करोड़ रुपये + सूचीबद्ध इकाई के 20,000 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक समेकित कारोबार का 5 प्रतिशत
III. 40,000 करोड़ रुपये से अधिक	3,000 करोड़ रुपये + सूचीबद्ध इकाई के 40,000 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक समेकित कारोबार का 2.5 प्रतिशत या 5,000 करोड़ रुपये, जो भी कम हो

महत्वपूर्णता की सीमा

लिस्टिंग विनियमों का विनियम 23 कंपनी को महत्वपूर्णता की ऐसी सीमाएँ निर्धारित करने का निर्देश देता है, जिनके पार संबंधित पक्ष लेन-देन के लिए शेयरधारकों की साधारण संकल्प द्वारा पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी। ऐसी किसी भी संकल्प को स्वीकृत करने हेतु कोई भी संबंधित पक्ष मतदान नहीं करेगा, चाहे वह इकाई उस विशेष लेन-देन के लिए संबंधित पक्ष हो या नहीं।

विनियम 23(1) के परंतुक में यह निर्धारित है कि संबंधित पक्ष के साथ किया गया लेन-देन महत्वपूर्ण माना जाएगा, यदि वित्तीय वर्ष के दौरान व्यक्तिगत रूप से या पूर्व लेन-देनों के साथ मिलाकर किया गया लेन-देन लिस्टिंग विनियमों की अनुसूची बारह में निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक हो।

उपर्युक्त के बावजूद, विनियम 23(1ए) के अनुसार, सूचीबद्ध इकाई द्वारा संबंधित पक्ष को ब्रांड उपयोग या रॉयल्टी के संबंध में किए गए भुगतान से संबंधित लेन-देन महत्वपूर्ण माना जाएगा, यदि वित्तीय वर्ष के दौरान व्यक्तिगत रूप से या पूर्व लेन-देनों के साथ मिलाकर किया गया लेन-देन सूचीबद्ध इकाई के अंतिम अंकेक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार उसके वार्षिक समेकित कारोबार के 5% से अधिक हो।

यह स्पष्ट किया जाता है कि विनियम 23(4) के अनुसार, कंपनी की अपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के पक्ष में होने वाले लेन-देन तथा पश्चात् महत्वपूर्ण संशोधनों (*नीचे परिभाषित*) के लिए भी कंपनी के शेयरधारकों की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, भले ही कंपनी स्वयं उस लेन-देन की पक्षकार न हो।

पश्चात् संशोधनों हेतु महत्वपूर्णता की सीमा

किसी महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेन-देन के संबंध में, प्रत्येक पश्चात् महत्वपूर्ण संशोधन से तात्पर्य ऐसे किसी भी परिवर्तन से होगा, जिसका समेकित आय विवरण में शुद्ध वार्षिक वित्तीय प्रभाव, पहले से स्वीकृत लेन-देन मूल्य के बीस प्रतिशत से अधिक हो, अथवा लिस्टिंग विनियमों की अनुसूची बारह में निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक हो — इनमें से जो भी अधिक हो।

संबंधित पक्षों की पहचान

अनुपालन अधिकारी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(76), कंपनी (परिभाषाओं का विनिर्देशन विवरण) नियम, 2014, लिस्टिंग विनियमों तथा लागू लेखांकन मानकों के अनुसार, संबंधित पक्षों की एक सूची बनाए रखेगा।

- प्रत्येक निदेशक तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, नियुक्ति के समय, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में तथा जब भी पहले किए गए प्रकटीकरण में कोई परिवर्तन हो, उन सभी व्यक्तियों एवं इकाइयों के संबंध में प्रकटीकरण करेगा, जिनमें उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित हो।
- प्रत्येक निदेशक तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, नियुक्ति के समय, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में तथा जब भी पहले किए गए प्रकटीकरण में कोई परिवर्तन हो, निम्नलिखित के संबंध में घोषणा-पत्र प्रस्तुत करेगा:
  - उसके सापेक्षिक;
  - ऐसी फर्म जिसमें वह निदेशक या प्रबंधक हो अथवा उसका कोई सापेक्षिक साझेदार हो;
  - ऐसी निजी कंपनियाँ जिनमें वह निदेशक या प्रबंधक हो अथवा उसका कोई सापेक्षिक सदस्य या निदेशक हो;
  - ऐसी सार्वजनिक कंपनियाँ जिनमें वह निदेशक हो तथा अपने सापेक्षिकों के साथ मिलाकर उस कंपनी की चुकता शेयर पूँजी का दो प्रतिशत से अधिक धारण करता हो।

अनुपालन अधिकारी:

- निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत घोषणा-पत्रों के आधार पर संबंधित पक्षों की जानकारी की पहचान करेगा तथा उनके व्यक्तिगत अथवा कंपनी विवरणों सहित एक अद्यतन डेटाबेस के रूप में अभिलेख बनाए रखेगा;
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में तथा उसके पश्चात् किसी भी परिवर्तन की स्थिति में, वेदांता समूह के अंतर्गत संबंधित पक्षों, जैसे कि सहायक कंपनियाँ, संयुक्त उद्यम, सहयोगी कंपनियाँ आदि, की जानकारी की पहचान करेगा तथा उसे डेटाबेस में संधारित करेगा;
- कंपनी के प्रवर्तक अथवा प्रवर्तक समूह का हिस्सा बनने वाले व्यक्तियों अथवा इकाइयों, अथवा कंपनी में प्रत्यक्ष रूप से या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 89 के अंतर्गत लाभकारी हित के आधार पर दस प्रतिशत या उससे अधिक इक्विटी शेयर धारण करने वाले व्यक्तियों अथवा इकाइयों की जानकारी की पहचान करेगा तथा उसे डेटाबेस में संधारित करेगा, जो तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय लागू हो;
- आवश्यकतानुसार संबंधित पक्षों के डेटाबेस को अद्यतन करेगा तथा कम से कम प्रत्येक तिमाही में उसकी समीक्षा करेगा।

संबंधित पक्ष लेन-देन की पहचान

- प्रत्येक निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक तथा वरिष्ठ प्रबंधन, उससे अथवा उसके सापेक्षिक से संबंधित किसी भी संभावित संबंधित पक्ष लेन-देन के संबंध में, कंपनी अथवा कंपनी की ऑडिट एवं जोखिम प्रबंधन समिति को सूचना देने के लिए उत्तरदायी होगा।

- अनुपालन अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि सभी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक तथा वरिष्ठ प्रबंधन वार्षिक घोषणा प्रस्तुत करें, जिसमें ऐसे सभी भौतिक, वित्तीय एवं व्यावसायिक लेन-देन शामिल हों, जिनमें उनकी व्यक्तिगत रुचि हो और जो वेदांता के व्यापक हितों के साथ संभावित रूप से टकराव उत्पन्न कर सकते हों।

- अनुपालन अधिकारी निम्नलिखित प्रकार से संबंधित पक्ष लेन-देन की सूची संकलित करेगा:

  - कंपनी के वित्तीय विवरणों में प्रकट किए गए निरंतर संबंधित पक्ष लेन-देन;
  - प्रत्येक संबंधित पक्ष के साथ किए जाने वाले संभावित लेन-देन तथा ऐसे लेन-देन के अनुमानित मूल्य, जिन्हें प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पूर्व प्राप्त किया जाएगा, ताकि इस नीति के अनुसार आवश्यक स्वीकृतियाँ प्राप्त की जा सकें।

संबंधित पक्ष लेन-देन की स्वीकृति एवं समीक्षा की प्रक्रिया

ऑडिट एवं जोखिम प्रबंधन समिति

a. संबंधित पक्ष लेन-देन, कंपनी के 'संबंधित पक्ष लेन-देन स्वीकृति मैट्रिक्स' के अनुसार, ऑडिट एवं जोखिम प्रबंधन समिति की पूर्व स्वीकृति के अधीन होंगे। ऑडिट एवं जोखिम प्रबंधन समिति, संबंधित पक्ष लेन-देन की स्वीकृति पर विचार करते समय, सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करेगी।

b. कंपनी के संबंधित पक्ष लेन-देन में किसी भी प्रकार के संशोधन के संबंध में, सभी संशोधनों के लिए ऑडिट एवं जोखिम प्रबंधन समिति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी।

c. कंपनी के प्रवर्तक अथवा प्रवर्तक समूह की कंपनियों या प्रवर्तक अथवा प्रवर्तक समूह के व्यक्तियों के साथ संबंधित पक्ष लेन-देन (जिसमें कोई भी पश्चात् संशोधन शामिल है), जिसमें कंपनी की कोई सहायक कंपनी पक्षकार हो किंतु कंपनी स्वयं पक्षकार न हो, के लिए कंपनी की ऑडिट एवं जोखिम प्रबंधन समिति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी।

   उपर्युक्त के बावजूद, वेदांता इनकॉरपोरेटेड, बहामास की सहायक कंपनियों तथा वेदांता रिसोर्सेज़ लिमिटेड की उन सहायक कंपनियों (जिनमें प्रवर्तक अथवा प्रवर्तक समूह शामिल न हों) के साथ एक करोड़ रुपये से अधिक के संबंधित पक्ष लेन-देन (जिसमें कोई भी पश्चात् संशोधन शामिल है), जिसमें कंपनी की सहायक कंपनी पक्षकार हो किंतु कंपनी स्वयं पक्षकार न हो, के लिए कंपनी की ऑडिट एवं जोखिम प्रबंधन समिति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, यदि ऐसे लेन-देन अथवा पश्चात् संशोधन का मूल्य, वित्तीय वर्ष के दौरान व्यक्तिगत रूप से या पूर्व लेन-देनों अथवा संशोधनों के साथ मिलाकर, निम्नलिखित में से जो भी कम हो, उससे अधिक हो:

   - सहायक कंपनी के अंतिम अंकेक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार उसके वार्षिक स्टैंडअलोन कारोबार का दस प्रतिशत; अथवा
   - कंपनी के लिए लिस्टिंग विनियमों की अनुसूची बारह में निर्दिष्ट महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेन-देन की सीमा; अथवा
   - एक सौ पैंतीस करोड़ रुपये[1]।

d. कंपनी अथवा उसकी सहायक कंपनी द्वारा उसके निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों अथवा वरिष्ठ प्रबंधन को दिया जाने वाला पारिश्रमिक एवं बैठक शुल्क (जो प्रवर्तक अथवा प्रवर्तक समूह का हिस्सा न हो) ऑडिट एवं जोखिम प्रबंधन समिति की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रखेगा, बशर्ते कि वह लिस्टिंग विनियमों के विनियम 23(1) के अर्थ में महत्वपूर्ण न हो।

e. कंपनी की दो सहायक कंपनियों (जहाँ एक अपूर्ण स्वामित्व वाली हो अथवा दोनों अपूर्ण स्वामित्व वाली हों) के बीच एक करोड़ रुपये से अधिक के संबंधित पक्ष लेन-देन (जिसमें कोई भी पश्चात् संशोधन शामिल है) के लिए कंपनी की ऑडिट एवं जोखिम प्रबंधन समिति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, यदि ऐसे लेन-देन अथवा पश्चात् संशोधन का मूल्य, वित्तीय वर्ष के दौरान व्यक्तिगत रूप से या पूर्व लेन-देनों अथवा संशोधनों के साथ मिलाकर, निम्नलिखित में से जो भी कम हो, उससे अधिक हो:

   - कम कारोबार वाली सहायक कंपनी के अंतिम अंकेक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार उसके वार्षिक स्टैंडअलोन कारोबार का दस प्रतिशत; अथवा

[1] अधिक कठोर सीमा को अपनाया गया है

- कंपनी के लिए लिस्टिंग विनियमों की अनुसूची बारह में निर्दिष्ट महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेन-देन की सीमा।

f. कंपनी की अपूर्ण सूचीबद्ध सहायक कंपनी तथा किसी अन्य संबंधित पक्ष (जो उपर्युक्त बिंदु (सी) से (ई) तक में सम्मिलित न हो) के बीच संबंधित पक्ष लेन-देन (जिसमें कोई भी पश्चात् संशोधन शामिल है), जिसमें कंपनी स्वयं पक्षकार न हो, के लिए कंपनी की ऑडिट एवं जोखिम प्रबंधन समिति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, यदि ऐसे लेन-देन अथवा पश्चात् संशोधन का मूल्य, वित्तीय वर्ष के दौरान व्यक्तिगत रूप से या पूर्व लेन-देनों अथवा संशोधनों के साथ मिलाकर, निम्नलिखित में से जो भी कम हो, उससे अधिक हो:

   - सहायक कंपनी के अंतिम अंकेक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार उसके वार्षिक स्टैंडअलोन कारोबार का दस प्रतिशत; अथवा

   - कंपनी के लिए लिस्टिंग विनियमों की अनुसूची बारह में निर्दिष्ट महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेन-देन की सीमा; अथवा

   - एक सौ पैंतीस करोड़ रुपये[2]।

g. कंपनी द्वारा किसी असंबंधित व्यक्ति अथवा इकाई के साथ किया गया कोई भी लेन-देन, जिसका उद्देश्य एवं प्रभाव कंपनी अथवा उसकी किसी सहायक कंपनी के किसी संबंधित पक्ष को लाभ पहुँचाना हो, के लिए कंपनी की ऑडिट एवं जोखिम प्रबंधन समिति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी।

h. कंपनी की सहायक कंपनी द्वारा किसी असंबंधित व्यक्ति अथवा इकाई के साथ किया गया लेन-देन (जिसमें कोई भी पश्चात् संशोधन शामिल है), जिसका उद्देश्य एवं प्रभाव कंपनी अथवा उसकी किसी सहायक कंपनी के किसी संबंधित पक्ष को लाभ पहुँचाना हो, के लिए कंपनी की ऑडिट एवं जोखिम प्रबंधन समिति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, यदि ऐसे लेन-देन अथवा पश्चात् संशोधन का मूल्य, वित्तीय वर्ष के दौरान व्यक्तिगत रूप से या पूर्व लेन-देनों अथवा संशोधनों के साथ मिलाकर, निम्नलिखित में से जो भी कम हो, उससे अधिक हो:

   - सहायक कंपनी के अंतिम अंकेक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार उसके वार्षिक स्टैंडअलोन कारोबार का दस प्रतिशत; अथवा

   - कंपनी के लिए लिस्टिंग विनियमों की अनुसूची बारह में निर्दिष्ट महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेन-देन की सीमा।

यदि कंपनी की किसी सहायक कंपनी के साथ एक करोड़ रुपये से अधिक का संबंधित पक्ष लेन-देन (जिसमें कोई भी पश्चात् संशोधन शामिल है) किया जाए, जिसमें कंपनी स्वयं पक्षकार न हो, तथा ऐसी सहायक कंपनी के पास कम से कम एक वर्ष की अंकेक्षित वित्तीय विवरण उपलब्ध न हों, तो कंपनी की ऑडिट एवं जोखिम प्रबंधन समिति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, यदि ऐसे लेन-देन अथवा पश्चात् संशोधन का मूल्य निम्नलिखित में से जो भी कम हो, उससे अधिक हो:

- *सहायक कंपनी की चुकता शेयर पूँजी तथा प्रतिभूति प्रीमियम खाते के कुल मूल्य का दस प्रतिशत; अथवा*

- *कंपनी के लिए लिस्टिंग विनियमों की अनुसूची बारह में निर्दिष्ट महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेन-देन की सीमा।*

बशर्ते कि, सहायक कंपनी की चुकता शेयर पूँजी तथा प्रतिभूति प्रीमियम खाते का कुल मूल्य, ऑडिट एवं जोखिम प्रबंधन समिति से स्वीकृति माँगने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना न हो।

[2] अधिक कठोर सीमा को अपनाया गया है

i. कंपनी तथा उसके प्रवर्तक अथवा प्रवर्तक समूह की इकाइयों या प्रवर्तक अथवा प्रवर्तक समूह के व्यक्तियों के बीच किए गए सभी संबंधित पक्ष लेन-देन (जिसमें कोई भी पश्चात् संशोधन शामिल है) के लिए ऑडिट एवं जोखिम प्रबंधन समिति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी।

j. ऑडिट एवं जोखिम प्रबंधन समिति, कंपनी अथवा उसकी किसी सहायक कंपनी द्वारा प्रस्तावित संबंधित पक्ष लेन-देन के लिए ऑम्निबस स्वीकृति प्रदान कर सकती है, बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तें पूर्ण हों:

a) ऐसी ऑम्निबस स्वीकृति केवल दोहराव वाली प्रकृति के लेन-देन के संबंध में ही लागू होगी;
b) ऑडिट एवं जोखिम प्रबंधन समिति को इस बात से संतुष्ट होना होगा कि ऐसी ऑम्निबस स्वीकृति की आवश्यकता है तथा यह सूचीबद्ध इकाई के हित में है;
c) ऑम्निबस स्वीकृति में निम्नलिखित का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा:
   - संबंधित पक्ष का नाम, लेन-देन की प्रकृति, लेन-देन की अवधि, अधिकतम लेन-देन राशि, जिसे किया जाना प्रस्तावित है,
   - संकेतक आधार मूल्य अथवा वर्तमान अनुबंधित मूल्य तथा, यदि कोई हो, मूल्य में परिवर्तन हेतु सूत्र; तथा
   - ऐसी अन्य शर्तें, जिन्हें ऑडिट एवं जोखिम प्रबंधन समिति उपयुक्त समझे।

   बशर्ते कि, जहाँ संबंधित पक्ष लेन-देन की आवश्यकता का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता हो तथा उपर्युक्त विवरण उपलब्ध न हों, वहाँ ऑडिट एवं जोखिम प्रबंधन समिति ऐसे लेन-देन के लिए ऑम्निबस स्वीकृति प्रदान कर सकती है, बशर्ते कि प्रति लेन-देन उसका मूल्य एक करोड़ रुपये से अधिक न हो।
d) इसके अतिरिक्त, ऐसे सभी ऑम्निबस स्वीकृत लेन-देनों के संबंध में, आरपीटी उद्योग मानकों तथा सेबी द्वारा समय-समय पर जारी अन्य परिपत्रों में निर्दिष्ट जानकारी प्रदान की जाएगी।
e) ऑडिट एवं जोखिम प्रबंधन समिति, प्रत्येक ऑम्निबस स्वीकृति के अंतर्गत कंपनी अथवा उसकी सहायक कंपनी द्वारा किए गए संबंधित पक्ष लेन-देन का विवरण, कम से कम त्रैमासिक आधार पर समीक्षा करेगी।
f) ऐसी ऑम्निबस स्वीकृतियाँ एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए वैध नहीं होंगी तथा एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नई स्वीकृति आवश्यक होगी।
g) निम्नलिखित लेन-देन ऑम्निबस मार्ग से स्वीकृत नहीं किए जा सकते:

   - कंपनी के उपक्रम को बेचने अथवा निपटाने से संबंधित लेन-देन;
   - ऐसे लेन-देन जो न तो सामान्य व्यवसाय क्रम में हों और न ही आर्म्स लेंथ मूल्य पर हों;
   - निदेशक मंडल द्वारा निर्दिष्ट सीमा से अधिक मूल्य वाले लेन-देन;
   - कंपनी अधिनियम, 2013, उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों अथवा लिस्टिंग विनियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट कोई अन्य लेन-देन।

k. केवल वे सदस्य, जो स्वतंत्र निदेशक हों, संबंधित पक्ष लेन-देन की स्वीकृति प्रदान करेंगे। ऑडिट एवं जोखिम प्रबंधन समिति का कोई भी ऐसा सदस्य, जिसका किसी संबंधित पक्ष लेन-देन में संभावित हित हो, उस लेन-देन पर मतदान से वंचित रहेगा।

l. संबंधित पक्ष लेन-देन जो (i) सामान्य व्यवसाय के क्रम में नहीं है; अथवा (ii) आर्म्स लेंथ मूल्य पर नहीं है, उसे लागू कानून के अनुसार आवश्यकतानुसार निदेशक मंडल अथवा शेयरधारकों की स्वीकृति आवश्यक होगी।

m. यदि आपातकालीन परिस्थितियों के कारण संबंधित पक्ष लेन-देन को ऑडिट एवं जोखिम प्रबंधन समिति की पूर्व स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए बिना ही निष्पादित कर दिया गया हो, तो इसके लिए उचित कारणों की व्याख्या ऑडिट एवं जोखिम प्रबंधन समिति की संतुष्टि के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए। ऑडिट एवं जोखिम प्रबंधन समिति के वे सदस्य जो स्वतंत्र निदेशक हैं, सभी प्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखते हुए ऐसे लेन-देन का मूल्यांकन करेंगे तथा लेन-देन की तिथि से 3 (तीन) माह की अवधि के भीतर अथवा ऑडिट एवं जोखिम प्रबंधन समिति की तत्काल

अगली बैठक में, जो भी पहले हो, ऐसे लेन-देन को अनुमोदित (रैटिफाई) कर सकते हैं, बशर्ते निम्नलिखित शर्तें पूरी हों:

- संबंधित पक्ष के साथ अनुमोदित लेन-देन अथवा लेन-देनों का मूल्य, वित्तीय वर्ष के दौरान व्यक्तिगत रूप से या एक साथ मिलाकर, एक करोड़ रुपये से अधिक न हो;
- ऐसा लेन-देन लिस्टिंग विनियमों के विनियम 23(1) के अनुसार महत्वपूर्ण न हो;
- पूर्व स्वीकृति प्राप्त न कर पाने का औचित्य, अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करते समय, ऑडिट एवं जोखिम प्रबंधन समिति के समक्ष रखा जाए;
- अनुमोदन का विवरण संबंधित पक्ष लेन-देन के प्रकटीकरण के साथ प्रकट किया जाए;
- ऑडिट एवं जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य शर्त।

बशर्ते कि, यदि ऑडिट एवं जोखिम प्रबंधन समिति से पश्चात् अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता है, तो ऐसा लेन-देन समिति के विकल्प पर अमान्य हो जाएगा; तथा यदि ऐसा लेन-देन किसी निदेशक के संबंधित पक्ष के साथ किया गया हो या किसी अन्य निदेशक द्वारा अधिकृत किया गया हो, तो संबंधित निदेशक या निदेशकगण कंपनी को हुए किसी भी नुकसान के विरुद्ध क्षतिपूर्ति करेंगे।

n. यदि कंपनी को इस नीति के अनुसार स्वीकृत न किए गए किसी संबंधित पक्ष लेन-देन की जानकारी प्राप्त होती है, तो उस मामले की समीक्षा ऑडिट एवं जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा की जाएगी। समिति सभी प्रासंगिक तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करेगी तथा कंपनी के लिए उपलब्ध सभी विकल्पों का मूल्यांकन करेगी, जिनमें संबंधित पक्ष लेन-देन का अनुमोदन, संशोधन अथवा समापन शामिल हो सकता है।

o. यदि ऑडिट एवं जोखिम प्रबंधन समिति ऐसे किसी अस्वीकृत लेन-देन को अनुमोदित न करने का निर्णय लेती है, तो समिति उपयुक्त रूप से अतिरिक्त कार्रवाई का निर्देश दे सकती है, जिसमें लेन-देन को बंद करना, संशोधित करना, समाप्त करना अथवा संबंधित पक्ष से कंपनी को हुए नुकसान की भरपाई कराना शामिल हो सकता है। संबंधित पक्ष लेन-देन की किसी भी समीक्षा अथवा स्वीकृति के संबंध में, ऑडिट एवं जोखिम प्रबंधन समिति को इस नीति की किसी भी प्रक्रियात्मक आवश्यकता में संशोधन करने अथवा उससे छूट देने का अधिकार होगा।

p. कंपनी द्वारा किए गए सभी संबंधित पक्ष लेन-देन का त्रैमासिक विवरण **ऑडिट एवं जोखिम प्रबंधन समिति** की समीक्षा हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। प्रबंधन, स्वीकृत लेन-देनों एवं वास्तविक रूप से निष्पादित लेन-देनों के बीच तुलना प्रस्तुत करने वाली रिपोर्ट भी समिति को सौंपेगा।

ऑडिट एवं जोखिम प्रबंधन समिति की स्वीकृति से छूट

a. यदि कोई सूचीबद्ध सहायक कंपनी किसी संबंधित पक्ष लेन-देन की पक्षकार हो, किंतु कंपनी स्वयं उस लेन-देन की पक्षकार न हो, तो कंपनी की ऑडिट एवं जोखिम प्रबंधन समिति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते कि लिस्टिंग विनियमों का विनियम 23 तथा विनियम 15 का उप-विनियम (2) ऐसी सूचीबद्ध सहायक कंपनी पर लागू होता हो।

b. यदि कोई सूचीबद्ध सहायक कंपनी तथा उसकी अपूर्ण सूचीबद्ध सहायक कंपनियाँ, दोनों किसी संबंधित पक्ष लेन-देन की पक्षकार हों, किंतु कंपनी स्वयं उस लेन-देन की पक्षकार न हो, तो कंपनी की ऑडिट एवं जोखिम प्रबंधन समिति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते कि लिस्टिंग विनियमों का विनियम 23 तथा विनियम 15 का उप-विनियम (2) ऐसी सूचीबद्ध सहायक कंपनी पर लागू होता हो; तथा ऐसी स्थिति में, सूचीबद्ध सहायक कंपनी की ऑडिट समिति की पूर्व स्वीकृति पर्याप्त मानी जाएगी।

c. निम्नलिखित संबंधित पक्ष लेन-देन के संबंध में कंपनी की ऑडिट एवं जोखिम प्रबंधन समिति की पूर्व स्वीकृति लागू नहीं होगी:

I. कंपनी अथवा उसकी सहायक कंपनी द्वारा उसके निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों अथवा वरिष्ठ प्रबंधन को दिया जाने वाला पारिश्रमिक एवं बैठक शुल्क (जो प्रवर्तक अथवा प्रवर्तक समूह का हिस्सा न हो), बशर्ते कि ऐसा लेन-देन लिस्टिंग विनियमों के विनियम 23(1) के अर्थ में महत्वपूर्ण न हो;

II. सूचीबद्ध होल्डिंग कंपनी तथा उसकी पूरी तरह स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के बीच किए गए सभी लेन-देन (जिसमें सभी पश्चात् संशोधन शामिल हैं), जो सामान्य व्यवसाय क्रम में हों तथा आर्म्स लेंथ मूल्य पर किए गए हों, और जिनके खाते ऐसी होल्डिंग कंपनी के साथ समेकित किए जाते हों तथा जिन्हें साधारण सभा में शेयरधारकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता हो;

III. सूचीबद्ध होल्डिंग कंपनी की दो पूरी तरह स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के बीच किए गए सभी लेन-देन (जिसमें सभी पश्चात् संशोधन शामिल हैं), जिनके खाते ऐसी होल्डिंग कंपनी के साथ समेकित किए जाते हों तथा जिन्हें साधारण सभा में शेयरधारकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता हो;

IV. कंपनी तथा केंद्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा उनके किसी संयोजन के बीच वैधानिक देयकों, वैधानिक शुल्कों अथवा वैधानिक प्रभारों के भुगतान की प्रकृति के सभी लेन-देन।

संबंधित पक्ष लेन-देन की स्वीकृति हेतु ऑडिट एवं जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा समीक्षा की जाने वाली सूचना

कंपनी, *"संबंधित पक्ष लेन-देन की स्वीकृति हेतु ऑडिट समिति एवं शेयरधारकों को न्यूनतम सूचना प्रदान करने" संबंधी उद्योग मानकों (जिसे आगे* ***"आरपीटी उद्योग मानक"*** *कहा गया है)* में निर्दिष्ट निम्नलिखित सूचना, प्रस्तावित संबंधित पक्ष लेन-देन की समीक्षा हेतु ऑडिट एवं जोखिम प्रबंधन समिति को प्रदान करेगी:

a. प्रस्तावित लेन-देन का प्रकार, उसकी महत्वपूर्ण शर्तें तथा विवरण;
b. संबंधित पक्ष का नाम तथा कंपनी अथवा उसकी सहायक कंपनी के साथ उसका संबंध, जिसमें उसकी चिंता या हित (वित्तीय या अन्यथा) की प्रकृति शामिल हो;
c. प्रस्तावित लेन-देन की अवधि (विशिष्ट अवधि का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा);
d. प्रस्तावित लेन-देन का मूल्य;
e. प्रस्तावित लेन-देन के मूल्य द्वारा कंपनी के तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के वार्षिक समेकित कारोबार का प्रतिशत (तथा अपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी से संबंधित संबंधित पक्ष लेन-देन के मामले में, ऐसी सहायक कंपनी के स्टैंडअलोन आधार पर वार्षिक कारोबार के आधार पर गणना किया गया ऐसा प्रतिशत अतिरिक्त रूप से प्रदान किया जाएगा);
f. यदि लेन-देन कंपनी अथवा उसकी सहायक कंपनी द्वारा दिए गए ऋण, अंतर-कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम अथवा निवेश से संबंधित हो, तो:
    i. प्रस्तावित लेन-देन के संबंध में धन के स्रोत का विवरण;
    ii. यदि ऋण, अंतर-कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम अथवा निवेश प्रदान करने हेतु कोई वित्तीय ऋणदायित्व उठाया गया हो, तो,
        - ऋणदायित्व की प्रकृति;
        - धन की लागत; तथा
        - अवधि;
    iii. लागू शर्तें, जिनमें प्रतिबंध, अवधि, ब्याज दर तथा पुनर्भुगतान अनुसूची शामिल हों; यह सुरक्षित है या असुरक्षित, और यदि सुरक्षित है, तो सुरक्षा की प्रकृति; तथा
    iv. संबंधित पक्ष लेन-देन के अंतर्गत प्रदान किए गए ऐसे धन का अंतिम लाभार्थी द्वारा उपयोग किए जाने का उद्देश्य;
g. प्रस्तावित संबंधित पक्ष लेन-देन कंपनी के हित में क्यों है, इसका औचित्य / औचित्यपूर्ण स्पष्टीकरण;
h. यदि कोई मूल्यांकन रिपोर्ट या अन्य बाहरी पक्ष की रिपोर्ट जिस पर कंपनी ने निर्भर किया हो, तो उसकी प्रति

i. स्वैच्छिक आधार पर, प्रतिपक्ष के वार्षिक समेकित कारोबार का वह प्रतिशत, जो प्रस्तावित संबंधित पक्ष लेन-देन के मूल्य द्वारा प्रदर्शित होता हो;
j. कोई अन्य सूचना जो प्रासंगिक हो सकती है।

ऑडिट एवं जोखिम प्रबंधन समिति, कंपनी के दीर्घकालिक (एक वर्ष से अधिक अवधि वाले) अथवा आवर्ती संबंधित पक्ष लेन-देन की स्थिति की भी वार्षिक समीक्षा करेगी।

संबंधित पक्ष लेन-देन की समीक्षा हेतु तथा उनकी स्वीकृति (अनुमोदन सहित) के लिए आवश्यक विस्तृत आरपीटी उद्योग मानक तथा निर्धारित प्रारूप, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की वेबसाइट www.sebi.gov.in पर उपलब्ध हैं।

निदेशक मंडल

a. यदि कोई संबंधित पक्ष लेन-देन (i) सामान्य व्यवसाय क्रम में न हो; अथवा (ii) आर्म्स लेंथ मूल्य पर न हो, तो ऐसे लेन-देन को ऑडिट एवं जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा निदेशक मंडल की स्वीकृति हेतु संदर्भित किया जाएगा। निदेशक मंडल ऐसे लेन-देन की स्वीकृति पर विचार करते समय लेन-देन की प्रकृति, उसकी महत्वपूर्ण शर्तें, मूल्य निर्धारण की पद्धति तथा ऐसे लेन-देन में प्रवेश करने के व्यावसायिक औचित्य जैसे कारकों पर विचार करेगा।

b. सभी महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेन-देन (जिसमें पश्चात् महत्वपूर्ण संशोधन भी शामिल हैं), जिनके लिए शेयरधारकों की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, उनके लिए पहले निदेशक मंडल की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।

c. निदेशक मंडल का कोई भी सदस्य, जिसका किसी संबंधित पक्ष लेन-देन में कोई हित हो, उस संबंधित पक्ष लेन-देन पर मतदान करने से वंचित रहेगा।

शेयरधारक

लिस्टिंग विनियमों के अंतर्गत

a. सभी महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेन-देन तथा उसके पश्चात् महत्वपूर्ण संशोधनों (जैसा कि ऑडिट एवं जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा परिभाषित किया गया है) के लिए शेयरधारकों की पूर्व स्वीकृति साधारण संकल्प द्वारा आवश्यक होगी। ऐसी किसी भी संकल्प पर कोई भी संबंधित पक्ष मतदान नहीं करेगा, चाहे वह इकाई उस विशेष लेन-देन के लिए संबंधित पक्ष हो या नहीं:

   बशर्ते कि**,** वार्षिक साधारण सभा में महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेन-देन तथा पश्चात् महत्वपूर्ण संशोधनों के लिए प्रदान की गई ऑम्निबस स्वीकृति, कंपनी अधिनियम, 2013 तथा लिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों के अनुसार आयोजित की गई अगली वार्षिक साधारण सभा की तिथि तक वैध रहेगी।

   बशर्ते आगे कि, वार्षिक साधारण सभा के अतिरिक्त आयोजित किसी अन्य साधारण सभा में प्रदान की गई महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेन-देन तथा पश्चात् महत्वपूर्ण संशोधनों की ऑम्निबस स्वीकृतियों की वैधता, ऐसी स्वीकृति की तिथि से एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

b. कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 **तथा** लिस्टिंग विनियमों के अंतर्गत अपेक्षित स्वीकृतियों की पूर्ति पृथक-पृथक तथा स्वतंत्र रूप से करनी होगी।

लिस्टिंग विनियमों के अंतर्गत शेयरधारकों की स्वीकृति से छूट

a. महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेन-देन के लिए शेयरधारकों की स्वीकृति की आवश्यकता निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगी:

i. सूचीबद्ध होल्डिंग कंपनी तथा उसकी पूरी तरह स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के बीच किए गए सभी लेन-देन (जिसमें सभी पश्चात् संशोधन शामिल हैं), जिनके खाते ऐसी सूचीबद्ध होल्डिंग कंपनी के साथ समेकित किए जाते हों तथा जिन्हें साधारण सभा में शेयरधारकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता हो;

ii. सूचीबद्ध होल्डिंग कंपनी की दो पूरी तरह स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के बीच किए गए सभी लेन-देन (जिसमें सभी पश्चात् संशोधन शामिल हैं), जिनके खाते ऐसी होल्डिंग कंपनी के साथ समेकित किए जाते हों तथा जिन्हें साधारण सभा में शेयरधारकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता हो;

b. यदि कोई सूचीबद्ध सहायक कंपनी किसी संबंधित पक्ष लेन-देन की पक्षकार हो किंतु कंपनी स्वयं उस लेन-देन की पक्षकार न हो, तो कंपनी के शेयरधारकों की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं होगी, बशर्ते कि लिस्टिंग विनियमों का विनियम 23 तथा विनियम 15 का उप-विनियम (2) ऐसी सूचीबद्ध सहायक कंपनी पर लागू होता हो। आगे यह भी स्पष्ट किया जाता है कि, उपर्युक्त प्रकार की सूचीबद्ध सहायक कंपनी की अपूर्ण सूचीबद्ध सहायक कंपनियों के संबंधित पक्ष लेन-देन के लिए, सूचीबद्ध सहायक कंपनी के शेयरधारकों की पूर्व स्वीकृति पर्याप्त होगी।

c. इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त आवश्यकताएँ दिवालियापन एवं शोधन अक्षमता संहिता की धारा 31 के अंतर्गत अनुमोदित संकल्प योजना के संबंध में लागू नहीं होंगी, बशर्ते कि ऐसी घटना को संकल्प योजना के अनुमोदन की तिथि से एक दिन के भीतर मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को प्रकट किया जाए।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत

a. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(76) के अंतर्गत परिभाषित किसी संबंधित पक्ष के साथ किए गए सभी लेन-देन, जो— (a) सामान्य व्यवसाय क्रम में न हों अथवा आर्म्स लेंथ मूल्य पर न हों; तथा (b) कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित सीमाओं से अधिक हों (जिसमें किसी भी संशोधन अथवा परिवर्तनों को सम्मिलित किया गया हो); और जिनके लिए शेयरधारकों की स्वीकृति अपेक्षित हो, ऐसे लेन-देन के लिए कंपनी की साधारण सभा में संकल्प द्वारा शेयरधारकों की स्वीकृति आवश्यक होगी। ऐसे मामलों में, संबंधित पक्ष अथवा संबंधित पक्षगण, ऐसे संकल्प पर मतदान करने से वंचित रहेंगे।

b. कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 तथा लिस्टिंग विनियमों के अंतर्गत अपेक्षित स्वीकृतियों की पूर्ति पृथक-पृथक तथा स्वतंत्र रूप से करनी होगी।

संबंधित पक्ष लेन-देन के विचार हेतु शेयरधारकों को प्रदान की जाने वाली सूचना

प्रस्तावित संबंधित पक्ष लेन-देन की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए शेयरधारकों को भेजी जाने वाली सूचना में, कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अतिरिक्त, व्याख्यात्मक विवरण के रूप में "संबंधित पक्ष लेन-देन की स्वीकृति हेतु ऑडिट समिति एवं शेयरधारकों को न्यूनतम सूचना प्रदान करने" संबंधी उद्योग मानकों **("आरपीटी उद्योग मानक")** में उल्लिखित निम्नलिखित सूचना शामिल की जाएगी:

a. कंपनी के प्रबंधन द्वारा ऑडिट एवं जोखिम प्रबंधन समिति को प्रदान की गई सूचना का सारांश;
b. प्रस्तावित लेन-देन कंपनी के हित में क्यों है, इसका औचित्य;
c. यदि लेन-देन कंपनी अथवा उसकी सहायक कंपनी द्वारा दिए गए ऋण, अंतर-कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम अथवा निवेश से संबंधित हो, तो

   i. प्रस्तावित लेन-देन के संबंध में धन के स्रोत का विवरण;
   ii. यदि ऋण, अंतर-कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम अथवा निवेश प्रदान करने हेतु कोई वित्तीय ऋणदायित्व उठाया गया हो, तो:
      - ऋणदायित्व की प्रकृति;
      - धन की लागत; तथा
      - अवधि;

iii. लागू शर्तें, जिनमें प्रतिबंध, अवधि, ब्याज दर तथा पुनर्भुगतान अनुसूची सम्मिलित हों; यह सुरक्षित है या असुरक्षित, और यदि सुरक्षित है तो सुरक्षा की प्रकृति; तथा

iv. संबंधित पक्ष लेन-देन के अंतर्गत प्रदान किए गए धन का अंतिम लाभार्थी द्वारा उपयोग किए जाने का उद्देश्य;

d. कंपनी द्वारा प्रस्तावित लेन-देन के संबंध में निर्भर की गई किसी मूल्यांकन रिपोर्ट अथवा अन्य बाहरी रिपोर्ट, यदि कोई हो, उसे शेयरधारकों के पंजीकृत ई-मेल पते के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने संबंधी कथन;

e. स्वैच्छिक आधार पर, प्रतिपक्ष के वार्षिक समेकित कारोबार का वह प्रतिशत, जो प्रस्तावित संबंधित पक्ष लेन-देन के मूल्य द्वारा प्रदर्शित होता हो;

f. कोई अन्य ऐसी सूचना, जो प्रासंगिक हो।

संबंधित पक्ष लेन-देन की स्वीकृति (अनुमोदन सहित) हेतु ऑडिट समिति एवं शेयरधारकों द्वारा समीक्षा के लिए सूचना प्रदान करने संबंधी विस्तृत आरपीटी उद्योग मानक, तथा ऐसी सूचना प्रदान करने के लिए आवश्यक प्रारूप, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की www.sebi.gov.in पर उपलब्ध हैं।

संबंधित पक्ष लेन-देन की स्वीकृति हेतु ऑडिट एवं जोखिम प्रबंधन समिति तथा निदेशक मंडल के लिए कारक / दिशानिर्देश

किसी संबंधित पक्ष लेन-देन को स्वीकृति प्रदान की जा सकती है या नहीं, इसका निर्धारण करते समय निम्नलिखित कारकों पर विचार किया जा सकता है:

a. क्या संबंधित पक्ष लेन-देन कंपनी के सामान्य व्यवसाय क्रम में किया जा रहा है;

b. क्या संबंधित पक्ष लेन-देन आर्म्स लेंथ आधार पर किया जा रहा है;

c. क्या उपलब्ध विकल्पों (यदि कोई हों) की तुलना करने के पश्चात्, कंपनी द्वारा संबंधित पक्ष लेन-देन में प्रवेश करने के लिए व्यावसायिक आवश्यकता एवं औचित्य के पर्याप्त कारण विद्यमान हैं;

d. क्या निदेशक से संबंधित संबंधित पक्ष लेन-देन के मामले में यह सुनिश्चित किया गया है कि संबंधित निदेशक उक्त कार्यसूची विषय पर मतदान से वंचित रहेगा;

e. क्या प्रस्तावित संबंधित पक्ष लेन-देन में कोई संभावित प्रतिष्ठागत अथवा नियामकीय जोखिम सम्मिलित है, जो ऐसे प्रस्तावित लेन-देन के परिणामस्वरूप अथवा उससे संबंधित रूप में उत्पन्न हो सकता है;

f. क्या संबंधित पक्ष लेन-देन कंपनी के किसी निदेशक अथवा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के लिए अनुचित हितों के टकराव की स्थिति उत्पन्न करता है, जिसमें लेन-देन के आकार, संबंधित पक्ष की समग्र वित्तीय स्थिति, लेन-देन में संबंधित पक्ष के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हित की प्रकृति, तथा ऐसे अन्य कारकों को ध्यान में रखा जाएगा जिन्हें ऑडिट एवं जोखिम प्रबंधन समिति अथवा निदेशक मंडल प्रासंगिक समझे।

रिपोर्टिंग एवं प्रकटीकरण

a. सभी महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेन-देन, जिनमें किसी भी प्रकार के पश्चात् महत्वपूर्ण संशोधन सम्मिलित हों, का विवरण कॉर्पोरेट प्रशासन पर अनुपालन रिपोर्ट के साथ त्रैमासिक आधार पर प्रकट किया जाएगा।

b. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) में उल्लिखित संबंधित पक्षों के साथ किए गए अनुबंधों अथवा व्यवस्थाओं का विवरण, प्रपत्र एओसी-2 में, निदेशक प्रतिवेदन में प्रकट किया जाएगा।

c. कंपनी, अपने पृथक तथा समेकित वित्तीय परिणामों के प्रकाशन की तिथि पर, प्रत्येक छह माह में संबंधित पक्ष लेन-देन से संबंधित प्रकटीकरण, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट प्रारूप में, स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत करेगी तथा लिस्टिंग विनियमों के विनियम 23(9) के अनुसार, उसी को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगी।

d. कंपनी, संबंधित पक्ष लेन-देन से संबंधित नीति को अपनी वेबसाइट पर प्रकट करेगी तथा उसका वेब-लिंक अपनी वार्षिक रिपोर्ट में प्रदान करेगी।

सीमाएँ एवं संशोधन

यदि इस नीति के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा लिस्टिंग विनियमों अथवा किसी अन्य वैधानिक अधिनियम अथवा नियमों के प्रावधानों के बीच कोई विरोधाभास उत्पन्न होता है, तो ऐसे कंपनी अधिनियम, 2013, लिस्टिंग विनियमों अथवा अन्य वैधानिक अधिनियमों अथवा नियमों के प्रावधान इस नीति पर प्रधानता प्राप्त करेंगे। इस संबंध में लिस्टिंग विनियमों, कंपनी अधिनियम, 2013 तथा/अथवा लागू कानूनों में किए गए किसी भी पश्चात् संशोधन अथवा परिवर्तन, स्वतः ही इस नीति पर लागू माने जाएंगे।